



राजस्थान, RAJASTHAN

BV 469437



यह राजस्थान सरकार...
दिनांक... को पुराने...
जिल्द संख्या... में पुराने...
क्रम संख्या... के साथ संलग्न है।

क्रमांक 226
प्रा.पत्र की दिनांक - 1/8/24
प्रा.पत्र प्राप्ति की दिनांक - 1/8/24
प्रतिलिपी जारी की दिनांक - 1/8/24
प्रतिलिपी देने की दिनांक -
प्रतिलिपी

उपपंजीयक मालपुरा
(टॉक)

क्र.सं. 2558 31.7.2024

क्रेता का नाम 5716/22 मार्ग गुंडी

पिता/पति का नाम 525MM212V

जाति निव. 97/14 210044

व्यारते

मुद्रांक मूल्य 12000

नाम प्रकार नाम
स्टाम्प (हर, नलग, 'डॉक')
ली. नं. 25/2024

राजस्थान स्थापना अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत
स्थापना हेतु

1 आधारभूत अवसंरचना 10-12

2 गांव और सड़कें परल के स
(धारा 3 के अन्तर्गत आवंटित
अवसंरचना के स्थापन हेतु 20-25)

कुल योग

हस्ताक्षर



RAJASTHAN

V 810562

॥श्री॥

अनुपमा पत्नि अशोक कुमार आयु 39 वर्ष, जाति जैन निवासी
PAN. AUPPJ6266R
जयपुर, कमलेश राठौर पत्नि रणजीतसिंह राठौर आयु 58 वर्ष जाति राजपूत
PAN. ABUPR2037H
निवासी जयपुर (राज.)

....विक्रेतागण

-बहक-

आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान, मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री)
अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा आयु 34वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी
मालपुरा तह0 मालपुरा जिला टोंक (राज.)

....क्रेता

विक्रयपत्र मुबलिक 14,95,000/- रुपये मात्र

जो कि हमारे कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 872/2
रकबा 15:00 बीघा किस्म बजंड 1 से बारानी-2, वाके ग्राम सदरपुरा तह. मालपुरा
जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, भूमि गांव से करीबन डेढ दो किलोमीटर दूर है, एवं
रोड के नजदीक नहीं है। आराजी को आज से पहले हमारी ओर से कहीं पर रहन वेय,
बख्शीश आदि नहीं किया हुआ है तथा ना ही किसी प्रकार के अन्य ऋण-भार से ग्रस्त
है, भूमि को हर प्रकार से मुन्तकिल करने के समस्त अधिकार हमें प्राप्त है, चूंकि हमे
अपने घरुखर्च वास्ते रूपयों की आवश्यकता है कि जिस हेतु हमने अपने कब्जे काश्त

लगातार..... पेज 2

Handwritten signature

12cm/leh

अथवा प्राप्ते प्रमाणित

Handwritten signature

राजस्थान प्रान्त

Handwritten signature
उपज्योतिष, मालपुरा
जिला-टोंक

700 15-10-2013

कुमुदनाथ आशोक मुन्ना जयति नैन, कंगले शरार
५० रणनीत किं रजपुत

जयपुर
५ जयपुर
रजिठ
रुपुड

(78)

गुणोत्तमो $5000 \times 5 / 10000 \times 3 / 5000 \times 1 / 1000 \times 4$
 $25000 + 3000 + 5000 + 400$ (कुल 289)
कं रजपुत किं रजपुत (78)

FR


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



RAJASTHAN

V. 810563

|| 2 ||

एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 872/2 रकबा 15:00 बीघा किस्म बजंड1 से बारानी-2, वाके ग्राम सदरपुरा तह. मालपुरा जिला टोंक राजस्थान रिथत मे से 03:00 बीघा भूमि पश्चिमी तरफ को मुबलिक 14,95,000 / ₹0 अक्षरे चौदहलाख पिच्चानवे हजार रूपयां मात्र में बहक क्रेता आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान , मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहायशर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा जिला टोंक (राज.) को विक्रय कर दिया है तथा विक्रय प्रतिफल की चुकती राशि क्रेता संस्था से जरिये निदेशक नकद प्राप्त कर ली है। तथा अब कोई राशि बकाया नहीं रही है। अब क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि वो विक्रयशुदा आराजी का राजस्व रिकार्ड में अपने हक में नामान्तरकरण अंकित करवा लेवे एवं आज से इसका राजस्व लगान अदा करें आज तक का समस्त लगान एवं बकाया हर प्रकार का हमने अदा कर दिया है, फिर भी यदि आज से पहले का कोई भी बकाया किसी भी किस्म का निकलेगा तो उसकी तमाम अदायगी की जिम्मेदारी हमारी होगी। भूमि विक्रयशुदा के बाबत आज दिवस तक जो कुछ भी हक-हकूक मालिकाना, काबिजाना हक, रास्ता, मेर,पानी, सिंचाई के बहैसियत मालिक के आज दिवस तक हमें व वारिसान हमारे को हासिल

लगातार..... पेज 3

Handwritten signature and name: Kamal

अथ प्रति प्रमाणित

तह वजीरान मालपुरा

Handwritten signature
उपयुक्त, मालपुरा
जिला- टोंक

दिनांक 17 मई October 2013 को 14:00 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री ANUPAMA शर्मा/पति/पत्नी श्री ASHOK KUMAR
जैन 29 मई 1953 JAIN व्यवसाय

Handwritten signature



संपूर्ण परतवेण फौजदारी को प्रमाणित किया

हस्ताक्षर परतवेणकर्ता हस्ताक्षर को पंजीयक MALPURA
(2013007781)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

Handwritten signature

रसीद नं 2013005401 दिनांक 17/10/2013
पंजीयन शुल्क रु 15430/-
प्रतिलिपि शुल्क रु 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रु 0/-
अन्य शुल्क रु 7720/-
कमी स्टांप शुल्क रु 230/-
कुल राशि रु 23680/-

(2013007781) को पंजीयक MALPURA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

Handwritten signature

शया प्रति प्रमाणित
Handwritten signature
शय प्रति प्रमाणित



RAJASTHAN

V 810564

11311

होते थे, व हे वो तमाम अधिकार आज से ही हमारे समान ही क्रेता संस्था को हासिल होंगे व रहेंगे, विक्रयशुदा भूमि के बाबत भविष्य में हमारे कोई रिश्तेदार, उत्तराधिकारी किसी प्रकार से कोई उज्र, ऐतराज नहीं कर सकेंगे। विक्रयशुदा भूमि बाबत क्रेता को पूर्ण अधिकार है कि भूमि को स्वयं काश्त करे, दीगर से काश्त करावे, अन्य के हक में मुन्तिकिल करे, गर्ज की जो चाहे जो करे, आवश्यकता अनुसार उपयोग व उपभोग में लेवें, हमें व वारिसान हमारे काकोई ऐतराज नहीं हो सकेगा। भविष्य में यदि क्रेता को विक्रयशुदा भूमि से हमारे स्वत्व की कमी अथवा गलत कथन हमारे की वजह से अलग होना पड़े तो क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वो अपने द्वारा दी हुई समस्त राशि मय हर्जा व खर्चा के व तत् समय की बाजारु दर के अनुसार कुल वसूली हमारे से अथवा वारिसान हमारे से वसूल कर लेवें।

लिहाजा यह विक्रयपत्र हमने अपनी राजी-खुशी, होश व हवास से बिना किसी प्रकार के नशे पते के आज दिनांक 17.10.2013 को स्टाम्प कीमती 76910 /-रु0 पर शब्द करीबन 600 तहरीर कर तकमील करवा दिया है कि जो सही है, सनद रहे एवं

लगातार.पेज....4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
उपपंजीयक, मालपुरा
जिला- टोंक

शय्या प्रातः क्रमांकित

मालपुरा मालपुरा

हस्ताक्षर
1-ANUPAMA LASHOK KUMAR
Age:39, Caste-JAIN
Ocu.-
R/O-JAIPUR

2-KAMALESH /RANJEET SINGH RATHOR
Age:58, Caste-RAJPOOT
Ocu.-
R/O-JAIPUR

(And Claimant)
1-AADITYA LOK KALYAN SHIKSHAN SANSTHAN
MALPURA BY /DIR.AVADHESH/ RAM SAHAY SHARMA
Age:34 Caste-BRAHMAN
Ocu.
R/O-MALPURA

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रु० 1495000/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे से रु० 1495000/- पूर्व में
पगरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कारा की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सत्री JAGDISH
पुत्र/पुत्री/पत्नी के SURAJMAL उम्र 30 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय
निवासी DORA।

2. श्री/श्रीमती/सत्री RAMESH CHAND
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAM NIWAS उम्र 50 वर्ष
जाति MAHAJAN व्यवसाय
निवासी MALPURA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष दिखे हुए हैं

आया प्रति प्रमाणित

(01300/781)


उप पंजीयक MALPURA

SALE DEED (CONVEYANCE DEED)

Anupama



Kamlesh



Aaditya



सचिव/मंत्री
आदित्य लोककल्याण एवं शिक्षण

Jagdish



Ramesh Chand



Ramesh Chand

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

राजस्थान

00100

100100100100

100100100100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

0001000100

भारत INDIA

INDIANONJUDICIAL

राजस्थान

V 810565

समय पर काम आवे ।

112 क.मानव

डाफटेड बाई: कैलाश चन्द विजय, डीडर्राईटर, मालपुरा ला.नं.12

हस्ताक्षर क्रेता

कमलेश राठौर

सचिव/मंत्री

आदिता लोककल्याण एवं शिक्षण संस्थान

फिंगर प्रिन्ट निदेशक क्रेता



कमलेश

हस्ताक्षर विक्रेतागण


अनुपमा

फिंगर प्रिन्ट विक्रेता अनुपमा

चिव/मंत्री
व्याण एवं शि



फिंगर प्रिन्ट विक्रेता कमलेश राठौर



गवाह-कमलेश

जगदीश पुत्र सूरजमल आयु 30 वर्ष

जाति ब्राह्मण निवासी दौराई

तहमालपुरा जि०टोक,राज०

अथ प्रति प्रमाणित

राजस्थान मालपुरा

गवाह-अनुपमा

रमेशचन्द पुत्र रामनिवास आयु 50 वर्ष

जाति महाजन निवासी मालपुरा

जिला टोक, राज०

हस्तपंजीयक, मालपुरा
जिला-टोक

Handwritten signature

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 1542750
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 230 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 15430 कुल रूपये 23680
जरिये रसीद संख्या 2013005401 दिनांक 17/10/2013
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 77140
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013007781) उप पंजीयक, MALPURA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

आज दिनांक 17/10/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 417
में पृष्ठ संख्या 158 क्रम संख्या 2013005842 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1107
के पृष्ठ संख्या 31 से 39 पर
चस्पा किया गया।

(2013007781) उप पंजीयक, MALPURA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

प्रमाणित

पंजीयन मालपुरा


राजस्थान
 1 JUN 2013
 गीब मालपुरा (सीक)



66AA 524321



॥ 5 ॥
 यह स्टाम्प विक्रयपत्र मुबलिंग 14,95,000/- दिनांक 17.10.2013
 के साथ मे सलंगन है।
 अनुपमा वर्मा-ब हम् - आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण
 संस्थान, मालपुरा

हस्ताक्षर:- 
 सचिव/मंत्री
 आदित्य लोककल्याण एवं शिक्षण संस्थान

शंया प्राप्ति प्रमाणित
 17 जून 2013 मालपुरा


 उपपंजीयक, मालपुरा
 जिला- टोंक



BV 469438

राजस्थान RAJASTHAN



यह स्टाम्प नकल..... लिख
दिनांक.....को पुस्तक.....
जिल्द संख्या.....से.....
क्रम संख्या.....के अन्तर्गत है।

क्रमांक 225
प्रा.पत्र की दिनांक - 1/8/14
प्रा.पत्र प्रारंभ की दिनांक - 1/8/14
प्रतिलिपि जारी की दिनांक - 1/8/14
प्रतिलिपि देने की दिनांक
प्रतिलिपि

उपपंजीयक मालपुरा
(टॉक)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000



FIVE THOUSAND RUPEES



68383



विक्रय-पत्र

श्रीमती रूपकला पत्नि अवधेश शर्मा, उम्र- 31 वर्ष जाति-ब्राह्मण
निवासी ढोला का खेड़ा, तह. मालपुरा जिला-टोंक (राज.)

-विक्रेता-

-बहक-

आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान, मालपुरा जरिये निदेशक
(मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र रामसहाय शर्मा, उम्र- 35 वर्ष जाति-ब्राह्मण
निवासी मालपुरा, तह. मालपुरा जिला-टोंक (राज.)

-क्रेता-

विक्रय-पत्र आराजी बिल एवज 2,55,000/- रुपये

Page 1 of 5

गया प्रभु प्रमाणित

मालपुरा जिला-टोंक

निदेशक, मालपुरा
जिला-टोंक

Handwritten notes at the top of the page, including the number '24' and some illegible characters.

$8 \times 1001 / 2 \times 1000 \times 2 / 100 \times 8$

2×12800

Handwritten signature or mark on the right edge of the page.

800

विक्रेता को घर खर्च वास्ते रूपयों की आवश्यकता है, इसलियेह मैंने उक्त आराजी खसरा नं. 644/4 रकबा 2:00 बीघा किस्म बारानी-2 वाके ग्राम सदरपुरा तह. मालपुरा जिला-टोंक में से अपने हिस्से में से 10बिस्वा भूमि (1264वर्गमीटर) को बिल एवज 2,55,000/- रु. अक्षरे दो लाख पचपन हजार रूपये में क्रेता आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान, मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र रामसहाय शर्मा, उम्र- 35 वर्ष जाति-ब्राह्मण निवासी मालपुरा, तह. मालपुरा जिला-टोंक को विक्रय कर दिया है, उक्त भूमि की सम्पूर्ण विक्रय राशि क्रेता से नकद प्राप्त कर ली है एवं उक्त विक्रयशुदा आराजी पर भौतिक रुप से कब्जा क्रेता को संभला दिया है, विक्रयशुदा आराजी से मुझ विक्रेता का कोई सरोकार किसी किस्म का नही रहा है, अब क्रेता ही इसका तन्हा मालिक, हकदार, खातेदार व काबिज रहेगा, आज तक जो हक, हकूक, मालिकाना, काबिजाना, रास्ता आदि के जो मुझको प्राप्त थे वो सब अब मेरे समान ही क्रेता को हासिल होंगे व रहेंगे, वो चाहे इस विक्रयशुदा आराजी को किभी भी उपयोग उपभोग में ले, स्वयं रखे, या किसी अन्य को किसी भी रूप में अन्तरित कर देवे, जिस प्रकार चाहे इसका उपयोग उपभोग करें व अपने नाम नामान्तकरण व खातेदारी दर्ज करा लेवे। इसमें मुझ विक्रेता को या मेरे उत्तराधिकारियों को कोई एतराज नही हो सकेगा, अब राज का लगान आदि स्वयं अदा करें, आज से पहले की उक्त आराजी बाबत् सम्पूर्ण

Page 3 of 5

गया प्रति प्रमाणित
[Signature]

परीक्षण मालपुरा

[Signature]
उपनिदेशक, मालपुरा
जिला- टोंक

व्यक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Ejectant)
: BOONKALA / AVADHESH SHARMA
Age. 51, Caste-BRAHMAN
Ocu.-
R/O. DHOJA KA KHEDA

(And Claimant)
: MADHITYA LOK KALYAN & SHIKSHAN SAMITHI
BY AVADHESH RAM SAHAY SHARMA
Age. 39, Caste-BRAHMAN
Ocu.-
R/O MALPURA

ने निम्नलिखित SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निम्नलिखित करण्डा को मान लिया।
प्रतिफल राशी रु 255000/- पूर्व में / में
समस्त / से रु 255000/- पूर्व में
समस्त समझ प्राप्त करना स्वीकार किया।

प्राप्त निम्नलिखित कर्ता का पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री JAGDISH
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SURAJ MAL SHARMA उम्र 28 वर्ष
जाति BRAHMAN अवसाय
निवासी MALPURA

2. श्री / श्रीमती / सुश्री RAMJAS
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ANJUN LAL SHARMA उम्र 45 वर्ष
जाति BRAHMAN अवसाय
निवासी MALPURA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एवं जगजा के निवासी होने का ज्ञान प्राप्त है।

(2014001302)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

उप पत्नी MALPURA


गया प्रति प्रमाणित

सचिव/मंत्री

Boonkala




Avadhesh



सचिव/मंत्री

आदित्य लोककल्याण एवं शिक्षण संस्था

Suraj



Ramjas

Boonkala

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



Rs.5000

रु.5000

पाँच ह



RUPEES

B 168384

स्थान RAJASTE

जै कि आराजी खसरा नं. 644/4 रकबा 2:00 बीघा किस्म बरानी-2 वाके ग्राम सदरपुरा तह. मालपुरा जिला-टोंक (राज.) में स्थित है, जो कि मेरी खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जिमसे मेरा 1/2 हिस्सा है, जो दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसे अंतरित किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, जो पहले किसी अन्य को अंतरित की हुई नहीं है, जो हर प्रकार के ऋण-भार आदि से मुक्त है, मुझ विक्रेता को अपनी उक्त आराजी को हर तरह से हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है, उक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय का किसी तरह का कोई स्थगन आदेश नहीं है, इससे किसी अन्य का कोई सरकारी किसी किस्म का नहीं है। उक्त आराजी आबादी से डेढ़ किलोमीटर व सदरपुरा-मालपुरा रोड के सहारे स्थित है, चूंकि मुझ

Page 2 of 5

अथवा प्राप्त प्रमाणित

जिला-टोंक मालपुरा

उपस्थितिक, मालपुरा
जिला- टोंक

संस्था

Handwritten signature in blue ink.

दिनांक 14 Feb 2014

2014 01 13 39 4-4

श्री / श्रीमती / सुश्री ROOPNALA

श्री / श्रीमती श्री AVADHESH SHARMA

31 नम जिला BHARANPUR

तहसील (MOLA KANEDA)

जिल्ला काठमाडौं

Handwritten signature



Handwritten signature

REGISTRAR (GENERAL)

REGISTRAR

MAJURA

(2014001302)

(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

दस्तावेज नं 2014000938 दिनांक 14/02/2014

संज्ञक शुल्क रु 3500/-

प्रतिनिधि शुल्क रु 300/-

पुस्तक शुल्क रु 0/-

संज्ञक शुल्क रु 1780/-

संज्ञक शुल्क रु 4870/-

कुल शुल्क रु 10610/-

Handwritten signature

(2014001302)

सर्व पंजीयक MAJURA

(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

शय्य प्रति प्रमाणित

Handwritten signature

बकाया राशि अदा कर दी है, यदि फिर भी कोई पिछली बकाया राशि किसी भी प्रकार का निकले तो उसकी अदायगी की मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, यदि भविष्य में कभी भी मेरे किसी गलत कथन की वजह से या स्वत्व की कमी की वजह से क्रेता को इस विक्रयशुदा आराजी से या किसी अंश से वंचित होना पड़े तो उसको अपना चुकती रूपया तत्समय लागू होने वाली बाजारू दर से मय हर्जे व खर्चे सहित मेरे से या मेरी चल व अचल सम्पति या वारिसान से वसूल करने का पूरा-पूरा अधिकार होगा, मेरे इस विक्रय से मेरे सभी वारिसान पाबन्द रहेंगे। विक्रयशुदा आराजी में किसी तरह का निशान नहीं है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र मुझ विक्रेता ने अपनी राजी खुशी, स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में वर कागज स्टाम्प कीमती 12800 रु. तहरीर कर तकमील करा दिया है, जो सही है, सनद रहे, वक्त

जरूरत काम आवे। दिनांक : 14.02.2014 मालपुरा

Grouped
अशुतोष शुजा एड.
 ह0 क्रेता
 आदि...

अशुतोष शुजा एड.
 ह0 विक्रेता


श्याम प्रसाद शर्मा
 मालपुरा

अशुतोष शुजा एड.
 मालपुरा
 त्रिना-दोष

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस 1260 पत्र
की मालियत रुपये 355380
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
रशि 4970 पर कमी पंजीयन शुल्क
रुपये 3560 कुल रुपये 10610
जरिये रसीद संख्या 2014000938 दिनांक 14/02/2014
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रुपये 17770
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।


(2014001362) उप पंजीयक MALPURA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

आज दिनांक 14/02/2014 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 429
में पृष्ठ संख्या 173 क्रम संख्या 2014000962 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1155
के पृष्ठ संख्या 134 से 142 पर
वस्था किया गया।


(2014001362) उप पंजीयक MALPURA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))


शुभ प्रति प्रमाणित

उप पंजीयक मालपुरा


विक्रय-पत्र आराजी बिल एवज 2,55,000/- रुपये


दिनांक - 14.02.2014

विक्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स




क्रेता के फिंगर प्रिन्ट्स



साक्षी 1. 

जगदीश शर्मा पुत्र सूरजमल उम्र 28 वर्ष

नि0 मालपुरा तह. मालपुरा (टोंक)


साक्षी 2 

रामजस शर्मा पुत्र अर्जुनलाल उम्र 45 वर्ष


नि0 मालपुरा तह. मालपुरा (टोंक)

Page 5 of 5

गया पाते प्रमाणित



मालपुरा तह. मालपुरा


मालपुरा तह. मालपुरा
मालपुरा तह. मालपुरा

Office of the District Collector, Tonk

No.एफ 12(7)राजस्व/रूपान्तरण/14/

Dated:-

CONVERSION ORDER

On the application of आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0) agricultural land held by him in his khatadari tenancy is hereby converted for a non-agricultural purpose under rule 9 of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under :-

Name of Applicant Khatedar/tenants with father's/husband's name and complete address

आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज0)

Whether the applicant is a member of SC/ST

नहीं

Details of the land converted :

- | | |
|---|---|
| (a) Name of the village/Gram Panchayat/ Tehsil | ग्राम सदरपुरा, ग्राम पंचायत राजपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक |
| (b) Kharsa No. of the land alongwith area of each Kharsa No. (in hectare) | खसरा नम्बर 872/3 रकबा 3.00 बीघा |
| (c) Area converted (in hectare or sq.mtr) ind | खसरा नम्बर 872/3 रकबा 3.00 बीघा यानि 7587.84 वर्गमीटर भूमि |
| (d) Indicating the area of each Kharsa No. | खसरा नम्बर 872/3 रकबा 3.00 बीघा यानि 7587.84 वर्गमीटर भूमि |

Note : A duly verified copy of the relevant part of revenue map showing the land converted for non-agricultural purpose is enclosed.

संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार

- | | |
|--|--|
| 4. Purpose of conversion | संस्थागत प्रयोजनार्थ |
| 5. Rate of Conversion charges payable | 15.8147 रुपये प्रति वर्गमीटर से 7587.84 वर्गमीटर भूमि का रूपान्तरण शुल्क 120000/-रुपये (डी एल सी दर 400000/- रुपये प्रति बीघा की दर से 7587.84 वर्गमीटर भूमि (3.00 बीघा) की कुल कीमत राशि 12,00,000/-रुपये पर 10 प्रतिशत रूपान्तरण शुल्क राशि 120000/-रुपये) |
| 6. Amount of premium deposited with No. and date of challan | मद 0029 भू राजस्व में चालान नं.009200019 दिनांक 15.1.16 (530/15.1.16) राशि 156450/-रुपये से दिनांक 15.1.16 को जमा रूपान्तरण शुल्क राशि 120000/-रुपये |
| 7. Amount of penalty deposited, if any, with date and no. of challan | संपरिवर्तित उक्त भूमि 7587.84 वर्गमीटर में निर्मित क्षेत्र 768.28 वर्गमीटर भूमि की शास्ती राशि 36450/-रुपये (15.8147प्रतिवर्गमीटर की 3 गुणा शास्ती राशि 47.442 रुपये प्रति वर्गमीटर से |

Barang conversion etc. 01432-246377(0), 01432-243026(Fax), Email: dm-tonk-rj@nic.

ATTESTED
Photo-Statte Copy

Satyana... (Advocate)
Notary Pu... Rajasthan

Dig... (Signature)

2016-01-15-99



768.28 वर्गमीटर भूमि की कुल शास्ति राशि 36450/-रूपये) जरिये चालान संख्या 0009200019 दिनांक 15.1.16 (530/15.1.16) राशि 156450/- रूपये से शास्ती राशि 36450/-रूपये जमा राजकोष राशि

8. Amount of interest deposited, if any, with date and no. of challan नहीं
9. Whether the order issued under Rule 13 for regularization. हों, निर्मित क्षेत्र 768.28 वर्गमीटर भूमि का नियमितकरण
10. Order particulars, if any नहीं
11. The above conversion order shall be subject to the following conditions :-
- (i) The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural - purpose, without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- (ii) If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 5 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- (iii) No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
- (iv) No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the prescribed Authority.
- (v) उक्त प्रयोजनार्थ भूमि का निर्माण इण्डियन रोड कांय्रेस के मापदण्डानुसार मालपुरा से सदरपुरा-देशमा डामरीकृत रोड के मध्य से नियमान्तर्गत निर्धारित दूरी छोड़ने की शर्त पर, रूपान्तरण किया जाता है। भविष्य में उक्त सड़क की चौड़ाईकरण या अपग्रेडेशन किया जाता है तो उस समय के नियम मान्य होंगे।

District Collector
Tonk

No. एफ 12 (7) राजस्व/रूपान्तरण/14/ 552-557 Date :- 3-2-16

प्रति-निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट, टोंक
2. उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा
3. तहसीलदार, मालपुरा जिला टोंक
4. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक
5. आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अवधेश शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक (राज०)
6. रक्षित पत्रावली

District Collector(Revenue)
Tonk

Boiling conversion & 01432-216377(o), 01432-216377(f) mail: dm-tonk-rj@nic.

Photo State Copy

Satyansaranan Jat (Advocate)
Notary Public Govt. of Rajasthan
Diggi, Dist. Tonk (Raj.)
Reg. No. 1569

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मालपुरा (टोंक)

क्रमांक/राजस्व/रूपा0/2020/ 1355

दिनांक:- 23-6-20

रूपान्तरण आदेश

आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान जरिये निदेशक अक्षय शर्मा निवारी सदरपुरा तहसील मालपुरा राज. की कृषि भूमि जो स्वयं उसका स्वामी है तथा उसकी खातेदारी में है, को राजस्व नियम 2007 (कृषि भूमि का ग्राहीण क्षेत्र में गैर कृषि उद्देश्य हेतु उपयोग) का रूपान्तरण किया जाता है। जिसका ब्योरा इस प्रकार है :-

1. आवेदक खातेदार का नाम मय पिता/
(मय पूरा पता) आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अक्षय शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा।
ग्राम सदरपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

2. क्या आवेदक एस.सी./एस.टी. का सदस्य है ? नहीं
3. रूपान्तरित भूमि का ब्योरा :-
(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम :- ग्राम सदरपुरा ग्रा0प0 ब्रजलालनगर तहसील मालपुरा
(ब) खसरा संख्या मय क्षेत्रफल :- खसरा नम्बर 644/6 रकबा 0.09 बीघा
(स) रूपान्तरित क्षेत्र (हेक्टेयर या वर्ग मीटर में) (1138.18 वर्गमी0)

प्रत्येक में प्रत्येक खसरे का ब्योरा:- 1138.18 वर्ग मीटर
नोट :- राजस्व नक्शे की कॉपी भी संलग्न करें) नक्शे की प्रति संलग्न है।

4. रूपान्तरण का उद्देश्य :- संस्थागत प्रयोजनार्थ
5. देय रूपान्तरण राशि :- 22957/-
6. प्रीमियम की जमा राशि चालान संख्या जी.आर.एन. न0 0017880261 दिनांक 19.07.2017 राशि 19900/-रु
जी.आर.एन. न0 40079191 दिनांक 19.06.2020 राशि 3057/-रु

अर्थदण्ड चालान तथा दिनांक (यदि कोई हो):- -

7. ब्याज की राशि (यदि कोई हो):- -
8. क्या आदेश नियम 13 के अन्तर्गत नियमितकरण के लिए किए गए हैं?:- -
9. अन्य कोई ब्योरा यदि कोई हो?:- -
10. उपरोक्त रूपान्तरण निम्न शर्तों के अधीन होगा :-
(अ) रूपान्तरित भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के अन्य किसी प्रयोग में नहीं ली जायेगी।
(ब) यदि आवेदक रूपान्तरित भूमि को पांच वर्ष के अन्दर सम्युचित प्रयोग में नहीं लेता है तो आदेश वापस ले ली जायेंगे। और जमा राशि जप्त कर ली जायेंगी।
(स) नियम (4) में वर्णित किसी भी भूमि का अन्य कोई गैर कृषि प्रयोग नहीं होगा।
(द) बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के रूपान्तरित भूमि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं होगा, सिवाय जनोपयोगी उद्देश्य के लिए।
(घ) इण्डियन रोड कॉर्पोरेशन के नियमों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार सड़क के मध्य से नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़ कर रूपान्तरण किया जाता है उक्त दूरी के बाद ही किसी तरह का निर्माण करें।
(र) आवेदित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण किये जाने की स्थिति में निर्माण किये जाने की स्थिति में निर्माण के प्लान की स्वीकृति।
(ल) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों तथा किये जाने वाले संशोधन एवं जारी आदेशों परिपत्रों आदि को मानने हेतु बाध्य रहेगा।

क्रमांक:- 1356-61 /राजस्व/रूपा0/2020
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक को सूचनाार्थ।
2. तहसीलदार तहसील मालपुरा को पालनार्थ।
3. तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील मालपुरा।
4. ग्राम पंचायत ब्रजलालनगर।
5. पटवारी हल्का ब्रजलालनगर को पालनार्थ।
6. आदित्य लोक कल्याण एवं शिक्षण संस्थान मालपुरा जरिये निदेशक (मंत्री) अक्षय शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा ग्राम सदरपुरा, तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

ATTESTED
Photo-Stat Copy

Satyanshyan Jat (Advocate)
Notary Public Govt. of Rajasthan
Diggi, Distt. Tonk (Raj.)
Reg.No.1569

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा
दिनांक:- 23-6-20

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा